



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1305) पटना, सोमवार, 4 अगस्त 2025

उद्योग विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त 2025

सं० 05/स० बियाडा (भू० हस्तांतरण सारण)—32/2025/3553—मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक—17.05.2025 के मद सं०—11 में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सारण जिला अन्तर्गत अंचल—अमनौर के मौजा—अरना, थाना सं०—269, खाता सं०. —02 के विभिन्न खेसरा के कुल प्रस्तावित रकवा—70.05 एकड़ भूमि (किस्म—भीठ, खतियान के अनुसार भूमि का किस्म— बकास्त मोकीदार वो ठेकेदार वो जरपेसकीदार) में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक—568 दिनांक—17.06.2025 द्वारा उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की धारा—2 (f), 3, 4 (A) (i), 9 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उक्त भूमि को उद्योग विभाग द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रस्तावित रकवा—70.05 एकड़ को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

4. उक्त हस्तांतरण इस शर्त के साथ की जाती है कि उक्त भूमि Pharmaceuticals/IT Park के लिए संरक्षित की जाती है। जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः उद्योग विभाग को लौट जाएगी साथ ही अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से आच्छादित होंगे।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रेरणा सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1305-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>